रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D (D N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 6, 1983/श्रावण 15, 1905
No. 286] NEW DELHI SATURDAY, AUGUST 6, 1983/SRAVANA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1983

सा.का.नि. 611(अ).—केन्द्रीय सरकार, खादी ग्राम उद्योग आयोग नियम 1957 के नियम 3 के साथ पठित खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री गोविन्द दास रिछारिया को, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में 23 अगस्त, 1983 को प्रारम्भ होकर तथा 30 सितम्बर, 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नियुक्त करती है ।

2. केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, उन्हें उपरोक्त अवधि के लिए उक्त आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त करती है ।

[सं. 13(3)/83-के.वी.आई.(1)]

एस. बी. जैन, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 1983

G.S.R. 611(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rule 3 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, the Central Government hereby re-appoints Shri Govind Das Richhariya, as a Member of the Khadi and Village Industries Commission, established under sub-section (1) of section 4 of the said Act, for a period commencing on and from 23rd August, 1983 and ending on the 30th September, 1983.

2. The Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, also appoints him as the Vice-Chairman of the said Commission for the aforesaid period.

[No. 13(3)/83-KVI(I)]

S. B. JAIN, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983